

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017**

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 19 का संशोधन.**- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 19 में,-

(i) उप-नियम (8) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न “।” के स्थान पर विराम चिह्न “:” प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-नियम (8) में, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

“परन्तु वर्ष 2015-16 के लिए व्यवहारी 15.04.2017 तक प्ररूप मूपक-11 में पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा।”

3. **नियम 21 का संशोधन.**- उक्त नियमों के नियम 21 के उप-नियम (8) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“परन्तु अधिकारिता रखने वाला उपायुक्त (प्रशासन) किसी विशिष्ट मामले में, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, ऐसे घोषणा प्ररूप के जनन किये जाने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि तक या 31.03.2017 तक, जो भी बाद में हो, ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने के लिए व्यवहारी को अनुज्ञात कर सकेगा।”

4. **नियम 30 का संशोधन.**- उक्त नियमों के नियम 30 के विद्यमान उप-नियम (2) के पश्चात् और विद्यमान उप-नियम (3) से पूर्व निम्नलिखित नये उप-नियम (2क) और (2ख) अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

“(2क) उपर्युक्त उप-नियम (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 के प्रारंभ की तारीख तक की कालावधि के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में प्रस्तुत किये गये प्ररूप मूपक-27 में अपील का ज्ञापन और प्ररूप मूपक-28 में विलम्ब की माफी के लिए आवेदन जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2015 से पूर्व प्रवृत्त था, उपर्युक्त उप-नियम (1) और/या, यथास्थिति, (2) के अधीन प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे।

(2ख) अपीलार्थी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, अधिनियम की धारा 82 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित निक्षेप के सबूत के साथ विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से जनित अभिस्वीकृति और ऐसे



आदेश की प्रमाणित प्रति, जिसके विरुद्ध अपील फाइल की गई है, संबंधित अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील फाइल करने के सात कार्यदिवसों के भीतर प्रस्तुत करेगा।”


5. नियम 40 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 40 में,-

- (i) उप-नियम (8ख) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न “।” के स्थान पर विराम चिह्न “:” प्रतिस्थापित किया जायेगा; और
- (ii) इस प्रकार संशोधित उप-नियम (8ख) में निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

“परन्तु वर्ष 2015-16 के लिए अवार्डर 31.03.2017 तक पुनरीक्षित प्ररूप मूपक-40ङ प्रस्तुत कर सकेगा।”

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-79]

राज्यपाल के आदेश से,


शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017**

In exercise of the powers conferred by section 99 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No.4 of 2003), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Value Added Tax (Second Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 19.- In rule 19 of the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006, hereinafter referred to as the said rules,-

(i) for the existing punctuation mark “.” appearing at the end of sub-rule (8), the punctuation mark “:” shall be substituted; and

(ii) in sub-rule (8), so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

“Provided that for the year 2015-16 the dealer may furnish the revised return in Form VAT-11 upto 15.04.2017.”.

3. Amendment of rule 21.-The existing proviso to sub-rule (8) of rule 21 of the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

“Provided that Deputy Commissioner (Administration) having jurisdiction, for the reasons to be recorded in writing, in any particular case, may allow the dealer for submission of such application upto a period of two years from the date of generation of such declaration form or upto 31.03.2017, whichever is later.”.

4. Amendment of rule 30.- After the existing sub-rule (2) and before the existing sub-rule (3) of rule 30 of the said rules, the following new sub-rules (2A) and (2B) shall be inserted, namely:-

“(2A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and (2) above, for the period upto the date of commencement of the Rajasthan Value Added Tax (Second Amendment) Rules, 2017, the memorandum of appeal in Form VAT-27 and application for condonation of delay in Form VAT-28, submitted in such form and manner which was in force prior to the Rajasthan Value Added Tax (Third Amendment) Rules, 2015, shall be deemed to have been submitted under sub-rule (1) and/or (2) above, as the case may be.

(2B) The appellant or his authorized representative shall submit the acknowledgment generated through the official website of the department along with proof of deposit as required under sub-section (3) of section 82 of the Act and the certified copy of the order against which appeal has been filed, within seven working days of filing of appeal before the appellate authority concerned.”.

5. Amendment of rule 40.-In rule 40 of the said rules,-

(i) for the existing punctuation mark “.” appearing at the end of sub-rule (8B), the punctuation mark “:” shall be substituted; and




(ii) in sub-rule (8B), so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

“Provided that for the year 2015-16 the awardee may furnish revised Form VAT-40E upto 31.03.2017.”.

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-79]

By order of the Governor,


(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government